

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

अपलोड/ई-मेल

क्रमांक एफ 13(29)खा.वि./आवंटन/2024-02560

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

समस्त,
जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत GIVE-UP अभियान।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह निर्धारित प्रावधानानुसार गेहूं का वितरण कराया जाता है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 में 1.परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, 2. परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/ अधिकारी हो, 3.एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो, एवं 4.परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जिविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में सम्मिलित है।

अतः माननीय खाद्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत GIVE-UP अभियान के संबंध में आवश्यक सूचना पोस्टर एवं स्वःघोषणा प्रार्थना-पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त पोस्टर एवं प्रार्थना-पत्र को प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाकर उक्त मापदण्ड में आने वाले लाभार्थियों को स्वविवेक से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाने हेतु प्रोत्साहित करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि:-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
- 3- समस्त, जिला कलक्टर (रसद), राजस्थान।
- 4- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (खाद्य) को विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल कराने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Poonam
Prasad Sagar
Designation : Additional
Commissioner
Date : 05-12-2024 04:35:25

आवेदन-पत्र

जिला रसद अधिकारी / उपखंड अधिकारी

....., राजस्थान।

विषय:-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत Give UP अभियान के तहत स्व:दोषणा हेतु प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रार्थी निम्नलिखित निष्कासन की श्रेणी में आता है:-

1. आयकर दाता
2. एक लाख से अधिक वार्षिक आय
3. चार पहिया वाहन धारक
4.

अतः मेरा नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से हटाने की नियमानुसार कार्यवाही करने का श्रम करावें।

भवदीय

नाम:-

राशनकार्ड नंबर.....

जन-आधार नं:-

मोबाइल नंबर:-

आवश्यक सूचना
NFSA / राशन प्राप्त करने वाले परिवारों के लिए

अगर आप निम्न में से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो आप NFSA के लिए अपात्र हैं और राशन का गेहूं पाने के हकदार नहीं हैं:-

1. यदि आप आयकरदाता हैं,
2. यदि आपकी एक लाख से अधिक वार्षिक आय है,
3. यदि आप निजी चार पहिया वाहन धारक हैं,

तो आज ही अपने राशन डीलर से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर Give UP अभियान में

अपना नाम कटवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करें एवं भविष्य में होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही से बचे।

अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2025

यदि प्रकरण 31 जनवरी, 2025 के पश्चात् संज्ञान में आता है तो कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।